शीर्ष प्राथमिकता

संख्या 09/10632 /52-1-2013-02(एम.एस.डी.पी.)/13

प्रेषक,

कृष्ण मोहन त्रिवेदी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
लखनऊ।

अल्पसंख्यक कल्याण एवं वक्फ अनुभाग-1 लखनऊ, दिनांक 15 जनवरी, 2014

विषय- भारत सरकार द्वारा 12वीं पंचवर्षीय योजना में एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ हेतु बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा स्वीकृत योजनाओं का कार्य पूर्ण कराने हेतु नामित कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को परिवर्तित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया शासनादेश संख्या-1018/52-1-2013-2(एम0एस0डी0पी0) /13,दिनांक 06.03.2013 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा एम0एस0डी0पी0 योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में कतिपय योजनाओं की धनराशि निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ के माध्यम से कार्यदायी संस्था सी0एण्ड डी0एस0 को अवमुक्त की गयी थी। आपके पत्र संख्या-1058/अ0स0क0-एम0एस0डी0पी0/2013-14, दिनांक 07.12.2013 में यह उल्लेख किया गया है कि सी0एण्ड डी0एस0 द्वारा आपको यह अवगत कराया है कि उनका परम्परागत कार्य भवन निर्माण कराना है और इसी कार्य में उन्हें दक्षता प्राप्त है जबकि कस्तूरबा गांधी एवं हाई स्कूलों में डी0एल0पी0 प्रोजेक्टर, सफेद श्यामपट एवं आधुनिक किट में क्रय का कार्य सर्व शिक्षा अभियान के मानकों के अनुरूप कराया जाना है। अतएव उक्त तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए 12वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित योजनाओं की धनराशि का सर्व शिक्षा अभियान के निर्धारित मानकों के अनुरूप बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कराये जाने हेतु सी0एण्ड डी0एस0 के स्थान पर बेसिक शिक्षा विभाग के निवर्तन पर रखे जाने का अनुरोध किया गया है :-

क्र0	योजना का नाम	इकाई	इकाई लागत	अवमुक्त प्रथम किश्त		कुल अवमुक्त धनराशि (के0+रा0)
				केन्द्रांश	राज्यांश	
1	08 कस्तूरबा गांधी बालिका वियालय में डी0एल0पी0 प्रोजेक्टर	08	2.000	6.00	2.00	8.00
2	राजकीय हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूल में सफेद श्यामपट	176	0.035	2.31	0.77	3.08
3	हाई स्कूल एवं प्राइमरी स्कूलों में	88	0.400	1.32	0.44	1.76

http://shasanadesh.up.nic.in

	सीखने के लिए आधुनिक किट					
			योग	**9.63**	**3.21**	**12.84**

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त प्रयोजन की धनराशि रू0 12.84 लाख प्रस्तावानुसार आपके निवर्तन पर रखने व व्यय किये जाने की एतद्द्वारा अनुमति प्रदान की जाती है। उपरोक्त योजनाओं में उपकरणों के क्रय का कार्य बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से कराया जाय।

3- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 को इस निर्देश के साथ कि उक्त धनराशि रू0 12.84 लाख जिलाधिकारी, लखनऊ के निवर्तन पर रखने एवं व्यय करने हेतु तत्काल हस्तानान्तरित कर दें।

भवदीय,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

संख्या 10632 (1)/52-1-2014तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- बजट अधिकारी, वित्त विभाग।
3- प्रमुख सचिव/सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग को इस आशय से प्रेषित कि प्रश्नगत कार्यों को कराने हेतु अपने स्तर से भी अनुश्रवण करने का कष्ट करें।
4- निदेशक, बेसिक शिक्षा विभाग को इस आशय से प्रेषित कि उक्त उपकरण का क्रय निर्धारित मानकों एवं क्रय नीति के आधार पर ही कराने का कष्ट करें।
5- जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उक्त उपकरणों का क्रय निर्धारित मानकों के अनुसार ही किया जाय तथा गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाय यदि इस सम्बन्ध में कोई भी अनियमितता पायी जाती है तो सम्बन्धित अधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।
6- निदेशक, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग , उ0प्र0 लखनऊ।
7- निदेशक, सी0एण्ड डी0एस0 को इस आशय से प्रेषित कि उपर्युक्त परियोजना की धनराशि जिलाधिकारी, लखनऊ को तत्काल हस्तानान्तरित करने का कष्ट करें।

http://shasanadesh.up.nic.in

8- जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, लखनऊ को भी इस निर्देश के साथ भी प्रेषित कि कृपया इसका प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाय।

9- मुख्य कोषाअधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ/कोषाअधिकारी, लखनऊ।

10- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 एवं वित्त-ई-11।

11- लेखाअधिकारी/वेब अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय, लखनऊ को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त स्वीकृति विभाग की वेबसाइड पर अपलोड कराने का कष्ट करें।

12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कृष्ण मोहन त्रिवेदी)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in